# शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

## नगर पालिका परिषद, मसूरी, जनपद – देहरादून (उत्तराखण्ड)

## माल रोड़ मसूरी – यातायात विनियमन संशोधन उपविधि – 2013

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, मसूरी, जनपद – देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम – १६१६ की धारा २६६ (२) की अनुसूचि एव (बी) के अन्तर्गत स्वीकृत यातायात उपविधियों में मसूरी माल रोड़ पर पर्यटकों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सुविधा एवं माल रोड़ पर वाहनों के आवागमन को कम करने के उद्देश्य से पालिका द्वारा उपनियमों की विभिन्न धाराओं में संशोधन का निर्णय लिया गया है जिसे नगर पालिका अधिनियम १६१६ की धारा ३०० के अन्तर्गत जनसाधारण एवं प्रभावी व्यक्तियों की आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशित संशोधित नियमावली के सम्बन्ध में सभी आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन की तिथि के ३० दिनो (३० दिवस) के भीतर लिखित रुप से प्राप्त कराये जा सकते हैं। कालातित आपत्तियों पर विचार नही किया जायेगा। उपयुक्त संशोधित उपनियम के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगे।

## माल रोड़ मसूरी – यातायात विनियमन संशोधन उपविधि – 2013

| वर्तमान नियम/उपविधि | संशोधित नियम/उपविधि |
|---|---|
| 1.निम्न सड़कों को छोड़कर जिसके लिये अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी की अनुज्ञा आवश्यक होगी, मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी की सीमा के अन्तर्गत सभी सड़कें निम्नलिखित लागू प्रतिबन्ध के साथ हल्की मोटर गाड़ियों के लिये खुली रहेगी ।<br>अ) गांधी चौक से पिक्चर पैलेस तक माल रोड।<br>ब) कैम्पटी बैंक रोड।<br>स) लण्ढौर बाजार घण्टाघर के समीप शौचालय नं01 के अनुरूप होटल लण्ढौर बाजार तक । | 1– पूर्ववत |
| 2.क) माल रोड स्थित दोनों बैरियर 1 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक व 2 जनवरी से 28/29 फरवरी तक हल्की निजी गाड़ियों के लिये खुले रहेंगे । केवल पांच दिन 28 दिसम्बर से जनवरी तक माल रोड आवागमन हेतु बन्द रहेगा दिनांक 31 दिसम्बर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सायं 4 बजे से रात्रि 1 बजे तक माल रोड यातायात को नियन्त्रण करने हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।<br>ख) 28 दिसम्बर से 1 जनवरी तक माल रोड गाड़ियों के आवागमन के बन्द होने की दशा में प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक अनुज्ञा–पत्र जारी किये जायेंगे । सायं 4 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक किसी भी गाड़ी के लिये अनुज्ञा–पत्र नहीं दिये जायेंगे ।<br>ग) माल रोड पर सामान ढोने के उपयोग में लाई जाने वाली गाड़ियों (लाईट व्हीकल्स) ट्रैक्टर, टट्टू (छन टन) जीप, जोंगा एवं टैक्सी,कार बिना अनुज्ञा –पत्र के उक्त अवधि में भी नहीं चल सकेंगी । | 2.क) माल रोड स्थित दोनों बैरियर 1 दिसम्बर से 27 दिसम्बर तक व 2 जनवरी से 28./29 फरवरी तक भी हल्की निजी गाड़ियों को निर्धारित शुल्क अदायगी पर ही नियमानुसार माल रोड पर प्रवेश की अनुमति रहेगी।<br>ख) वर्ष भर/रात्रि के समय में, भी माल रोड पर गाड़ियों के आवागमन को प्रतिबन्धित /नियन्त्रित किया जायेगा। जिस हेतु प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक अनुज्ञा–पत्र जारी किये जायेंगे । सायं 4.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक (प्रतिबन्धित समय) किसी भी गाड़ी के लिये अनुज्ञा–पत्र नहीं दिये जायेंगे। रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक पुनः अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेंगे। पूर्व प्रतिबन्धित समय के अतिरिक्त, समय प्रातः 7.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक एवं समय रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक के लिए, माल रोड प्रवेश हेतु प्रति वाहन प्रति फेरा रू0– 300–00 के भुगतान पश्चात हल्की निजी वाहनों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया जा सकेगा। यह अनुज्ञा केवल वाहनों को उनके गन्तव्य स्थान तक आने–जाने हेतु ही दी जायेगी।<br>ग) पूर्ववत । |
| 3. माल रोड, गांधी चौक से पिक्चर पैलेस एवं कैम्पटी बैंक तथा घण्टाघर से गुरुद्वारा चौक तक भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि के लिये पूर्णतः वर्जित है । निजी हल्के वाहन जैसे जीप, जोंगा जो माल ढोने के कार्य में प्रयोग में लाये जाते हों, को भी माल रोड, कैम्पटी बैंक रोड पर चलने की अनुमति केवल विशेष स्थिति में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा रू0 200–00 प्रति फेरे के हिसाब से तथा ट्रैक्टर, डीसीएम टोयोटा जैसी गाड़ियों में रू0 200–00 अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने पर रात्रि 1 बजे से प्रातः 6 बजे तक अनुमति दी जा सकती है। | 3. माल रोड, गांधी चौक से पिक्चर पैलेस एवं कैम्पटी बैंक भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि के लिये पूर्णतः वर्जित है । निजी /व्यवसायिक हल्के वाहन जैसे जीप, जोंगा, जो माल ढोने के कार्य में प्रयोग में लाये जाते है को भी माल रोड, कैम्पटी बैंक रोड पर चलने की अनुमति केवल विशेष स्थिति में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त (अधिकृत) अधिकारी द्वारा रू0 400–00 प्रति फेरे के हिसाब से तथा ट्रैक्टर, डीसीएम टोयोटा जैसी गाड़ियों में रू0 500–00 अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने पर रात्रि 1 बजे से प्रातः 6 बजे तक अनुमति दी जा सकती है। |
| 4. मैसाणिक लॉज से आगे लण्ढौर बाजार , यूनियन बैंक तथा भारी गाड़ियों जैसे ट्रक, बस , ट्रैक्टर एवं माल ढोने के लिये प्रयोग में लाये जाने वाली गाड़ियों आदि को रू0 100–00 प्रति फेरे के हिसाब से अनुज्ञा शुल्क देने पर ही जाने की अनुमति दी जायेगी । | 4. मैसाणिक लॉज से आगे लण्ढौर बाजार , यूनियन बैंक तथा भारी गाड़ियों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर एवं माल ढोने के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली गाड़ियों आदि को रू0 300–00 प्रति फेरे के हिसाब से अनुज्ञा शुल्क देने पर ही जाने की अनुमति दी जायेगी । |

| | |
|---|---|
| 5– टैक्सियों और माल ढोने के प्रयोग में लायी जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर हल्की निजी मोटरगाड़ियां जैसे कार, जीप, स्कूटर, मोटर साईकिल आदि व्यक्तिगत स्थान पर पार्किंग हेतु रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे तक निःशुल्क माल रोड, कैमल्स बैक रोड एवं लण्ढौर बाजार रोड पर जाने एवं बाहर आने दी जाये। रात्रि 10.30 बजे के पश्चात जो गाड़ी पार्किंग हेतु माल रोड पर जाती है यदि वह 7 बजे प्रातः से पूर्व बाहर नहीं आती हो तो ऐसी गाड़ी को प्रातः 7 बजे के पश्चात माल रोड से बाहर आने के लिये भी निर्धारित शुल्क रू0 100–00 का भुगतान करना होगा। परन्तु शर्त यह है कि कभी भी गाड़ी माल रोड एवं लण्ढौर बाजार के किसी भी सार्वजनिक सड़क के हिस्से पर पार्क नहीं की जायेगी। | 5. टैक्सियों और माल ढोने के प्रयोग में लायी जाने वाली गाड़ियों को छोड़कर, केवल स्थानीय नागरिकों के (जो माल रोड पर पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी बाजार तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले) निजी वाहनों, हेतु जिन्हें वर्ष भर के लिए अनुज्ञा प्राप्त है,, वे भी अपने निजी हल्के वाहनों जैसे कार, जीप, स्कूटर, मोटर साईकिल आदि व्यक्तिगत स्थानों पर ही पार्किंग हेतु रात्रि 10.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक माल रोड से अन्दर/बाहर आने/जाने दी जायेगी। ऐसे वाहन जो माल रोड के अन्दर होटल/अन्य आवासीय परिसर/निजी पार्किंग स्थलों पर पार्क किये जाने हेतु प्रवेश करेंगे, उन वाहनों को भी केवल प्रतिबन्धित समय के अतिरिक्त ही माल रोड से अन्दर/बाहर आने/जाने की अनुमति होगी। परन्तु शर्त यह होगी, कि कभी भी गाड़ी माल रोड व पालिका की किसी भी सार्वजनिक सड़क के हिस्से पर पार्क नहीं की जायेगी। प्रतिबन्धित समय में यदि कोई वाहन माल रोड से बाहर आने हेतु माल रोड का उपयोग करेगा, तो उसे रू0– 300–00 का अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। माल रोड एवं पालिका सीमान्तर्गत अन्य पालिका की सार्वजनिक सड़कों पर बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति लिये वाहनों को पार्क करना अनुमन्य नहीं होगा, ऐसे वाहनों को भी रू0– 300–00 का भुगतान पालिका के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों को देय कर, निर्धारित रसीद प्राप्त करने के पश्चात वाहन वहाँ से हटाते हुए निर्धारित/उपलब्ध पार्किंग स्थलों पर ले जाना आवश्यक होगा। |
| 6 हल्की निजी मोटर गाड़ियां माल ढोने वाली गाड़ियों को छोड़कर पार्किंग के लिये माल रोड, कैमल्स बैक रोड, एवं लण्ढौर बाजार रोड पर जाने हेतु रू0 100–00 प्रति गाड़ी प्रति फेरे अनुज्ञा शुल्क के रूप में भुगतान करने पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी के विवेकानुसार प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक उपरोक्त प्रतिबंधित मार्ग (नियम 1–अ,ब,स) पर अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेंगे । सायं 4 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक किसी भी गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जायेंगे, परन्तु भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति,मुख्य न्यायमूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विदेशों के सम्मांत व्यक्ति आयुक्त गढ़वाल मण्डल, माननीय जिला जज एवं सी0जे0एम0, देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून परगना मजिस्ट्रेट मसूरी एवं मसूरी पालिका परिषद की सेवा में कार्यरत होते हुए यात्रा करते रहे मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यों में प्रयोग में लायी जाने वाली मसूरी नगर पालिका परिषद की अपनी और उसके द्वारा प्रयुक्त रहने तथा शव वाहन तथा फायर ब्रिगेड और बुझाने हेतु शुल्क तथा अनुज्ञा पत्र से मुक्त रहेंगे । | 6– हल्की निजी मोटर गाड़ियां माल ढोने वाली गाड़ियों को छोड़कर पार्किंग के लिये माल रोड, कैमल्स बैक रोड, एवं लण्ढौर बाजार रोड पर जाने हेतु रू0 300–00 प्रति गाड़ी प्रति फेरे अनुज्ञा शुल्क के रूप में भुगतान करने पर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त (अधिकृत) अधिकारी के विवेकानुसार प्रातः 7.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपरोक्त प्रतिबंधित मार्ग (नियम 1–अ,ब,स) पर अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेंगे । सायं 4 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक किसी भी गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र नहीं दिये जायेंगे, (उक्त समय में संशोधन लाने , उसे बढ़ाने या घटाने का अधिकार ,अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी में निहित रहेगा ,जिसे वे अपने विवेक अनुसार परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रयोग करेंगे) परन्तु भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति,मुख्य न्यायमूर्ति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विदेशों के सम्मांत व्यक्ति आयुक्त गढ़वाल मण्डल, माननीय जिला जज, माननीय सिविल जज एवं सी0जे0एम0, देहरादून, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, परगना मजिस्ट्रेट, मसूरी, नगर पालिका परिषद मसूरी, के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सभासद व मसूरी पालिका परिषद की सेवा में कार्यरत होते हुए यात्रा करते रहे मसूरी नगर पालिका परिषद के कार्यों में प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन मसूरी नगर पालिका परिषद की अपनी और उसके द्वारा प्रयुक्त रहने वाले शव वाहन तथा फायर ब्रिगेड के अग्नि बुझाने हेतु वाहन शुल्क तथा अनुज्ञा पत्र से मुक्त रहेंगे । |
| 7, अति आवश्यक विशिष्ट व्यक्तियों और झण्डे लगी उत्तर प्रदेश वर्ग 1966 सरकारी गाड़ियों को माल रोड, कैमल्स बैक रोड और लण्ढौर बाजार रोड के उपयुक्त उपविधि संख्या 1 में प्रतिबंधित वर्ग से बिना शुल्क का भुगतान किये गाड़ी ले जाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में देने का अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, को अधिकार होगा । यह अनुमति केवल सायं 4 बजे से पूर्व तक ही दी जायेगी । | 7– पूर्ववत: |
| 8 माल से लदी हल्की और भारी गाड़ियों को छोड़कर जैसे कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाईकिल आदि मोती लाल नेहरू रोड और हरनाम सिंह रोड पर निःशुल्क जाने दी जायेगी । परन्तु माल ले जाने वाली गाड़ियों को उक्त मोती लाल नेहरू रोड और हरनाम सिंह रोड पर रू0 100–00 प्रति गाड़ी प्रति फेरा शुल्क के रूप में भुगतान करने पर ही अनुज्ञा होगी । | 8. माल ले जाने वाली गाड़ियों जैसे ट्रक ट्रैक्टर भारी वाहनों को गांधी चौक से उक्त मोती लाल नेहरू रोड और हरनाम सिंह रोड पर रू0 300–00 प्रति गाड़ी प्रति फेरा शुल्क के रूप में भुगतान करने पर ही जाने की अनुज्ञा होगी । |
| 9 भारी मोटर गाड़ियों जैसे ट्रक, बस और माल ढोने के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली भारी गाड़ियां गांधी चौक से पालीकिती की ओर मसूरी नगर पालिका की सीमा के अन्दर जाती है रू0 100–00 प्रति फेरा शुल्क के भुगतान करने पर जाने की अनुमति दी जायेगी , जो गाड़ियों पकवाना टोल, कैम्पटी रोड की ओर मसूरी नगर पालिका की सीमा से बाहर जायेगी उन पर यह सीमा शुल्क लागू नहीं होगा । | 9. भारी मोटर गाड़ियों जैसे ट्रक, बस और माल ढोने के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली भारी गाड़ियां गांधी चौक से पालीकिती की ओर मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी, की सीमा के अन्दर जाती है तो रू0– 300–00 प्रति फेरा शुल्क के भुगतान करने पर जाने की अनुमति दी जायेगी, जो गाड़ियाँ पकवाना टोल, कैम्पटी रोड की ओर मसूरी नगर पालिका की सीमा से बाहर जायेगी उन पर यह सीमा शुल्क लागू नहीं होगा । |

| | |
|---|---|
| 10. परन्तु लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को अपनी माल ढोने वाली गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, शिक्षा संस्थाओं के अपनी निजी गाड़ियां, मसूरी नगर पालिका की अपनी गाड़ियां और सरकारी कार्यों के प्रयुक्त सरकारी गाड़ियां उपर्युक्त रू0 100–00 शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगी । यदि माल किराये व गाड़ियों द्वारा ले जाये जायेगा तो रू0 300–00* अनुज्ञा शुल्क देना होगा ।<br>* (त्रुटिवश रू0–100–00 के स्थान पर रू0– 300–00 अंकित है) गांधी चौक पर किसी भी गाड़ी को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही भारी गाड़ियों को उक्त चौक पर माल उतारने की अनुमति होगी ।<br>अपरत प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी की अनुज्ञा के बिना टैक्सियां लिंक रोड, हैप्पी वैली रोड और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी गेट के संगम से आगे कम्पनी गार्डन नहीं जायेंगी । | 10. परन्तु लाल बहादुर शास्त्री अकादमी को अपनी माल ढोने वाली गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, शिक्षा संस्थाओं के अपनी निजी गाड़ियां, मसूरी नगर पालिका की अपनी गाड़ियां और सरकारी कार्यों के प्रयुक्त सरकारी गाड़ियां उपर्युक्त रू0 300–00 शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगी । यदि माल, किराये की गाड़ियों द्वारा ले जाये जायेगा तो रू0 300–00 अनुज्ञा शुल्क देना होगा ।<br>गांधी चौक पर किसी भी गाड़ी को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही भारी गाड़ियों को उक्त चौक पर माल उतारने की अनुमति होगी ।<br>अपरत प्रतिबंध यह है कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी की अनुज्ञा के बिना टैक्सियां लिंक रोड, हैप्पी वैली रोड और लाल बहादुर शास्त्री अकादमी गेट के सामने से आगे कम्पनी गार्डन नहीं जायेंगी । |
| 11. हल्की मोटर गाड़ियों जैसे कि कार, जीप, स्कूटर, स्टेशन वेगन और मोटर साईकिल घण्टाघर से लण्ढौर बाजार रोड और साउथ रोड की सीमा तक लण्ढौर बाजार रोड को प्रयोग करने के लिये अनुज्ञा नहीं होगी । ऐसी गाड़ियां केवल लण्ढौर बाजार से साउथ रोड को ही प्रयोग में लायी जायेंगी एवं लण्ढौर चौक और गुरुद्वारा चौक पर भी कोई गाड़ी पार्क नहीं की जायेगी । | 11– पूर्ववत |
| 12. माल रोड पर साईकिल चलाया जाना सर्वथा प्रतिबंध है। | 12– पूर्ववत |
| 13. किंक्रेग गांधी चौक मोटर रोड और राम किशन वर्मा रोड पर टूट–फूट या अवरोध उत्पन्न होने के कारण या दूसरे कारण से असाधारण परिस्थिति में हल्की मोटर गाड़ियां अध्यक्ष, नगर पालिका मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी की सामान्य अनुज्ञा पर निर्देशानुसार माल रोड पर प्रतिबन्धित भाग से निशुल्क जाने दी जायेगी। | 13– पूर्ववत |
| 14. केवल गम्भीर दशा के रोगियों के उपचार हेतु जाने वाले डॉक्टर, गम्भीर दशा के रोगियों को ले जाने वाली सरकारी एम्बुलेन्स, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा माल रोड के प्रतिबंधित भाग से निशुल्क गुजरने दिये जायेंगे । टैक्सी एवं अन्य कार हल्की गाड़ियों को शुल्क जमा करने पर ही अनुमति दी जायेगी । | 14– पूर्ववत |
| 15. माल रोड (ट्रैफिक के पिक्चर पैलेस, और लाइब्रेरी स्थित फोटो स्टाल के मध्य) पर रहने वाले स्थाई नागरिकों को जिनके पास अपने निजी हल्की गाड़ियां हैं और जो गाड़ी मालिक हैं एवं माल रोड पर पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी बाजार तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें अपनी हल्की निजी गाड़ियों को पार्किंग हेतु प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दिन में केवल एक बार उनके निवास स्थान से नजदीक पड़ने वाले गेट से माल रोड से बाहर आने एवं अन्दर जाने की अनुमति अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा 1 मार्च से 30 नवम्बर तक रू0– 500–00 प्रति गाड़ी के हिसाब से अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है । स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड (दो पहिया वाली मोटर गाड़ियों) के लिये यह शुल्क केवल रू0 300–00 होगा ।<br>नोट–1– अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 03/05/2003 के अनुसार यातायात उपविधि न0– 15 में आंशिक संशोधन करते हुए जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे–<br>जीप, जोंगा, आदि माल वाहक वाहनों पर<br>रू0– 500–00 से बढ़ाकर रू0– 800–00 (प्रति गाड़ी प्रति वर्ष)<br>दुग्ध वाहन (ट्रक आदि) भारी वाहनों पर<br>रू0– 500–00 से बढ़ाकर रू0– 1000–00 (प्रति गाड़ी प्रति वर्ष)<br>2– उपविधि में भारी वाहन (ट्रक आदि) रू0– 300–00 प्रति फेरा प्रति वाहन निर्धारित है परन्तु अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 19/05/2003 के अनुसार पालिका को आपत्तियाँ प्राप्त होने पर उनका निराकरण करते हुए रू0– 300–00 के स्थान पर रू0– 200–00 प्रति फेरा प्रति वाहन अग्रिम व्यवस्था तक निर्धारित किया गया है। | 15 क– माल रोड (ट्रैफिक बैरियर पिक्चर पैलेस, और लाइब्रेरी) के मध्य रहने वाले स्थाई नागरिकों को जिनके पास अपने निजी हल्की गाड़ियां हैं और जो गाड़ी मालिक हैं एवं माल रोड पर पिक्चर पैलेस से लाइब्रेरी बाजार तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें अपनी हल्की निजी गाड़ियों को पार्किंग हेतु प्रातः 7:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक दिन में केवल एक बार उनके निवास स्थान से नजदीक पड़ने वाले गेट से माल रोड से बाहर आने एवं अन्दर जाने की अनुमति अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मसूरी द्वारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रू0 1000–00 प्रति गाड़ी के हिसाब से अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है। स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड (दो पहिया वाली मोटर गाड़ियों) के लिये यह शुल्क केवल रू0 500–00 होगा ।<br>ख– ऐसे वाहन स्वामी जो कि माल रोड (ट्रैफिक बैरियर पिक्चर पैलेस व लाइब्रेरी) के मध्य नहीं रहते हैं को भी विशेष परिस्थितियों में माल रोड प्रवेश हेतु अनुज्ञा देने का अधिकार अध्यक्ष महोदय, या उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी को होगा।<br>ग– अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा जीप, जोंगा, आदि माल वाहक वाहनों को केवल आवश्यक सामग्री की पूर्ति करने हेतु वर्तमान रू0 800–00 से बढ़ाकर रू0 1200–00 (प्रति गाड़ी प्रति वर्ष) अनुज्ञा शुल्क दुग्ध वाहन (ट्रक आदि) भारी वाहनों पर रू0 1000–00 से बढ़ाकर रू0 1500–00 (प्रति गाड़ी प्रति वर्ष) अनुज्ञा शुल्क देने पर अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि गाड़ी माल रोड के किसी भी भाग पर अनावश्यक पार्क नहीं की जायेगी। उक्त आवश्यक सामग्री की पूर्ति माल रोड पर करने का समय 7:00 बजे प्रातः से 10:00 बजे प्रातः तक ही होगा। |
| दण्ड<br>यू0पी0म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका यह आदेश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन आर्थिक दण्ड से जो कि रू0– 500–00 तक हो सकता है दण्डनीय होगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त आर्थिक दण्ड होगा, जो कि प्रथम दण्ड दिये जाने की तिथि के बाद से उस समय तक जब तक कि अभियुक्त द्वारा उपविधि का उल्लंघन किया जायेगा रू0– 100–00 प्रति दिन प्रति वाहन के हिसाब से होगा। | दण्ड<br>यू0पी0म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पालिका यह आदेश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन आर्थिक दण्ड से जो कि रू0 1000–00 तक हो सकता है दण्डनीय होगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में और अतिरिक्त आर्थिक दण्ड होगा, जो कि प्रथम दण्ड दिये जाने की तिथि के बाद से उस समय तक जब तक कि अभियुक्त द्वारा उपविधि का उल्लंघन किया जायेगा रू0 500–00 प्रति दिन प्रति वाहन के हिसाब से होगा । |

(प्रहलाद सिंह रावत)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।

(मनमोहन सिंह मल्ल)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, मसूरी।